

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जारिये रिपोर्ट पटवारी हल्का खेरीरेत बनाम जगराम झमरसिंह मीणा

रेत
प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआए एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/51/2019

निर्णय दिनांक :- 25/2/2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेरीरेत की आ.ख.न. 1246 कुल रकवा 0.83 किरम जमीन गठमवा में से 1200 वर्गफुट 0.01 रकवे पर श्री जगराम सिंह झमरसिंह मीणा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पकका कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का खेरीरेत द्वारा दिनांक 16/8/18 राजस्थान राजस्थान को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय दाईव भू.अ.निरी. खेरीरेत के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिगामी जगराम जाति मीणा निवासी गठमवा को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिगामी जगराम उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकववा आ.ख.न. 1246 रकवा 0.83 में से 1200 वर्गफुट रकवे किस गठमवा है जो निगमन के योग्य नहीं है हिहाजा वेरसायम को अतिक्रमित रकवे से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 10 Paisa का 50 गुणा 5/- fine रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांदा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी खेरीरेत भू.अ.निरी. को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कठूमर
तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज.
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतीति :- फ. ह.